न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0–12/2013 अब्बास आलम बनाम राज्य सरकार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017 Received for subs. 21/09/17	***आदेश*** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से मो0 अब्बास आलम, पिता स्व0 जहीर आलम, ग्राम–फर्रेह, थाना–चौथम, जिला– खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया है। प्रस्तुत आपूर्ति अपील विविध वाद सं0 12/2013 मो0 अब्बास आलम, पिता स्व0 जहीर आलम, ग्राम–फर्रेह, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 491/अनु0आ0, दिनांक 18.08.2009 से बिछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि 85 उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत किया गया कि मो0 अब्बास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 09 का अन्त्योदय/बी0पी0एल0 मद का खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 1078, दिनांक 01.08.2009 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। शिकायत के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम द्वारा उनके दूकान का औचक निरीक्षण किया गया, दूकान बन्द पाया गया और दूकान बंद रहने के कारण भंडार पंजी बिक्री पंजी एवं भंडार का सत्यापन नहीं किया जा सका। पंचायत निगरानी समिति के संयोजक–सह–मुखिया तेलौंछ ने प्रतिवेदित किया कि माह अप्रैल 2009 का 206 अन्त्योदय लाभुकों और 341 बी0पी0एल0 लाभुकों को गेहूँ आपूर्ति नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को दिनांक 03.08.2009 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये उनकी अनुज्ञप्ति सं0 23 सी0/2007 रद्द कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बिना तथ्य को समझे बिक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है, जो कानून के तहत संधारण योग्य नहीं है तथा निरस्त करने योग्य है।	

उनका यह भी कथन है कि बिक्रेता अल्पसंख्यक वर्ग से है और उनके द्वारा माह अप्रैल 2009 का बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को गेहूँ का वितरण किया गया है और मुखिया के गलत मांग की पूर्ति नहीं करने के कारण ऐसा किया गया है। उनका यह भी कथन है कि स्थानीय राजनीति के कारण स्थानीय नेताओं द्वारा गलत आरोप उनके विरूद्ध लगाया गया और विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सही तथ्य की जांच कराये बिना अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जबकि तेलौंछ के अधिकांश लोगों का बिक्रेता से कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा अपील को अंगीकृत करते हुए, निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर सुनवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2009 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि छगुरी तांती, गुलाब शर्मा एवं अन्य 85 व्यक्तियों का हस्ताक्षरित आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि मो0 अब्बास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 09 का अन्त्योदय/बी0पी0एल0 मद का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। उक्त आलोक में बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। दिनांक 05.08.2009 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में मो0 अब्बास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के दूकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कार्य अवधि में दूकान बन्द पाया गया। दूकान बन्द रहने के कारण भंडार पंजी, वितरण पंजी की जांच एवं भंडार का सत्यापन नहीं किया जा सका। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम द्वारा स्थानीय जांच के क्रम में 32 उपभोक्ताओं से पूछताछ की गयी एवं लिखित ब्यान भी लिया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2009 का खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया है।

बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साथ खाद्यान्न का भंडार पंजी और वितरण पंजी से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 04.06.2009 को 76.20 क्वीं0 बी0पी0एल0 मद का गेहूँ का उठाव किया गया है जिसे स्टॉक में दिनांक 04.05.2009 को दर्ज किया गया है और दिनांक 22.05.2009 तक खाद्यान्न का वितरण दिखाया गया है तथा 210 क्वीं0 अवशेष दिखाया गया है। माह अप्रैल का भुगतान सुदा कूपन की मांग करने पर बिक्रेता

द्वारा जमा नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2009 का गेहूँ/चावल दिनांक 04.06.2009 को उठाव किया गया है जबकि भंडार पंजी में गेहूँ दिनांक 26.05.2009 और चावल दिनांक 04.05.20019 को दर्ज किया गया है। पंचायत निगरानी समिति के संयोजक सह मुखिया तेलौछ ने प्रतिवेदित किया कि 206 अन्त्योदय लाभुकों और 341 बी0पी0एल0 लाभुकों को खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया गया है।

उपरोक्त उपभोक्ताओं के शिकायत एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम के जांच प्रतिवेदन के आलोक में मो0 अब्बास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, ग्राम पंचायत तेलौछ द्वारा माह अप्रैल 2009 का खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0–23 सी/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2009 का खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बिक्रेता के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुज्ञप्ति रद्द किया गया, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश को निरस्त किया जाय।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, खगड़िया द्वारा बताया गया कि बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2009 का खाद्यान्न वितरण में अनियमितता वरती गयी है। इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाए।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2009 के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता वरती गयी है और इस संबंध में बिक्रेता द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बिक्रेता से भुगतान सुदा कूपन की मांग किये जाने पर बिक्रेता द्वारा जमा नहीं करना भी इस आरोप को प्रमाणित करता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 18.08.2009 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता
खगड़िया

समाहर्ता
खगड़िया

पत्री क्रम और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	02.	3.

डी0 बी0 नं0.......219......./विधि, दिनांक 19/9/2017

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

19/9/2017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
19/9/17